संख्या-44/3511/58-2022-1655638

A058-001-2232746-2022

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 25 नवम्बर, 2022**

विषयः वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत जनपद रायबरेली में स्थित राजकीय पौधशाला टी.पी.एन. रायबरेली पर पॉन्डस की स्थापना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-61/बजट/2022-23, दिनांक 05.09.2022 एवं पत्र संख्या-75/बजट/2022-23, दिनांक 12.10.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद रायबरेली में स्थित राजकीय पौधशाला टी.पी.एन. रायबरेली पर पॉन्डस की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 अनुदान सं0-10 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4401-119-03-07-अलंकृत बागवानी का विकास की योजना के मानक मद-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्रावधानित धनराशि रू0-100.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 90.00 लाख (धनराशि रू नब्बे लाख मात्र) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निदेशक, उद्यान के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रू0 में)

लेखाशीर्षक/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान	अवमुक्त की जा रही धनराशि
4401-फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय- 119- बागवानी तथा वनस्पति की फसलें- 03-नर्सरी- 07-अलंकृत बागवानी का विकास की योजना		
24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00	90.00
योग-	**100.00**	**90.00**

(धनराशि रू नब्बे लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1. निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का कय स्टोर परचेट नियमों तथा समय-समय पर निर्गत तसंबंधी शासनादेशों तथा नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।
2. निदेशक उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
3. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।
4. जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा ।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना की गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा।
7. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक, उद्यान का उत्तरदायित्व रहेगा।
8. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
9. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0लखनऊ की होगी।
10. निदेशक उद्यान द्वारा सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें।
11. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
12. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
13. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
15. बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
16. उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का

http://shasanadesh.up.gov.in

विचलन हो तो वित्त नियन्त्रक, उद्यान का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4401- 119-03-07-अलंकृत बागवानी का विकास की योजना के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित संगत मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव

<u>संख्या:44/3511/58-2022तद्दिनांक :</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) वित्त नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, जनपद-रायबरेली।
(4) उप निदेशक उद्यान, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
(5) जिला उद्यान अधिकारी, रायबरेली।
(6) कोषाधिकारी, रायबरेली।
(8) वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in